न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्जवल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 64/2021 (Bank Case)
GCMS No. 2021/115

IIFL Home Finance Limited (IIFL HFL) A Company incorporated under the Companies Act 1956, having its Registered office at 12A-10, 13th floor, Parinee Crescenzo, C-38 ANDc-39, G-Block, Behind MCA, Bandra kurla Complax, Bandra east, Mumbai- 400051 and Branch Officeat : Gaurav plaza , second floor, shop no.2 to 6,Kotri Road Gumanpura, Kota. Authorised Officer- Mr. Manish sharma

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. Neeraj Parashar S/o Mahesh parashar ,
   Property address- House No. 16-A, Chopra Farm, Village Dadwara, Kota Junction, kota. (Borrower)
2. Mrs. Sohini Parashar W/o Neeraj Parashar
   Property address- House No. 16-A, Chopra Farm, Village Dadwara, Kota Junction, kota. (Co-Borrower)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री रोहित सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 17 . 08.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है IIFL Home Finance Limited (IIFL HFL) A Company incorporated under the Companies Act 1956, having its Registered office at 12A-10, 13th floor, Parinee Crescenzo, C-38 ANDc-39, G-Block, Behind MCA, Bandra kurla Complax , Bandra east, Mumbai- 400051 and Branch Office at : Gaurav plaza , second floor, shop no.2 to 6 ,Kotri Road, Gumanpura, Kota में स्थित है से अप्रार्थी ने लोन एग्रीमेंट दिनांक 28.07.2014 से रूपये 18,50,000/–(अक्षरेः रूपये अठ्ठारह लाख, पचास हजार मात्र) का ऋण लिया था अप्रार्थी ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति आवासीय House no. 16-A, Chopra Farm, Dadwara, Kota Junction, Kota कोटा (राजस्थान) में स्थित हैं, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में–रास्ता, पश्चिम में– प्लॉट नं. 17, उत्तर में– प्लॉट नं. 16, दक्षिण में– रास्ता स्थित है। जो रिलीज डीड दिनांक 28.4. 2014 व कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा नाम हस्तान्तरण आदेश 20.6.14 से भूखण्ड का स्वामित्व श्री नीरज पराशर पुत्र स्व0 श्री महेश चन्द पराशर के नाम जारी किया गया है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 05.11.2017 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 23,24,363/– (अक्षरे रूपये तेईस लाख चोईस हजार तीन सौ तिरेषठ मात्र) बकाया रकम दिनांक 10.09.2019

जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज0)

तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 18.10.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में कंचन केसरी व अंग्रेजी में "Business Standard Rajasthan "में दिनांक 26.10.2019 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 18.10.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में कंचन केसरी व अंग्रेजी में "Business Standard Rajasthan "में दिनांक 26.10.2019 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 18.10.2019 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में कंचन केसरी व अंग्रेजी में "Business Standard Rajasthan "में दिनांक 26.10.2019 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति आवासीय House no. 16-A, Chopra Farm, Dadwara, Kota Junction, Kota कोटा (राजस्थान) में स्थित हैं, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में–रास्ता, पश्चिम में– प्लॉट नं. 17, उत्तर में– प्लॉट नं. 16, दक्षिण में– रास्ता स्थित है। जो रिलीज डीड दिनांक 28.4.2014 व कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा नाम हस्तान्तरण आदेश 20.6.14 से भूखण्ड का स्वामित्व श्री नीरज पराशर पुत्र स्व0 श्री महेश चन्द पराशर के नाम जारी किया गया है,** का भौतिक क़ब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दियें जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17.08.2021 को सुनाया गया ।

17/8/21
(उज्जवल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)